अध्याय VI

पी एस बी की आस्ति गुणवत्ता स्थिति

6.1 बैंकों में आस्तियों का वर्गीकरण

1985 में, अंतिम लेखा पर घोष समिति की सिफारिशों पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली में वर्गीकृत आस्तियों की एक प्रणाली शुरू की गई थी। प्रणाली, (स्वास्थ्य कोड प्रणाली) में बैंकों के अग्रिमों को वर्गीकृत करने वाली आठ श्रेणियों में से एक (संतोषजनक) से आठ (खराब और संदिग्ध ऋण) शामिल हैं। 1991 में, वित्तीय प्रणाली पर नरसिंह्मन समिति ने बैंक की परिसंपत्तियों के वर्गीकरण को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक संरेखित किया और चार व्यापक आस्ति समूहों को शुरू किया जैसे–(i) मानक आस्ति, (ii) घटिया आस्ति, (iii) संदिग्ध आस्ति, (iv) नुकसान आस्ति। इसके बाद, 1992 में आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों को प्रारंभ किया गया। 1998 में, बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिंह्मन समिति ने, प्रचलित मानदंडों को मजबूत करने और उन्हें विकसित होते सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के समकक्ष लाने के लिए, विवेकपूर्ण मानदंडों को और अधिक कसने की सिफारिश की। इसके बाद, 2001 में, अनर्जक आस्तियां (एन पी ए) दिशानिर्देश एन पी ए के वर्गीकरण के लिए 90 दिन के आदर्श के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाए गए। एन पी ए[21] को मोटे तौर पर सकल एन पी ए[22] एवं निवल एन पी ए में वर्गीकृत किया जा सकता है।

> एक परिसंपत्ति जिसमें पट्टेदार आस्ति शामिल है, बैंक के लिए आय उत्पन्न करने के लिए समाप्त होने पर अनर्जक हो जाती है।
>
> एक **एन पी ए** एक ऋण या अग्रिम है जहाँ;
>
> i. एक अवधि के ऋण के संदर्भ में ब्याज और/या मूल की किस्त 90 से अधिक दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।
>
> ii. ओवर ड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओ जी/सी सी) के संबंध में खाता आउट ऑफ आर्डर है।
>
> iii. खरीदी और रियायती बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।
>
> iv. छोटी अवधि की फसलों के लिए दो फसलों के मौसमों के लिए मूलधन या ब्याज की किस्त अतिदेय रहती है।
>
> v. लंबी अवधि की फसलों के लिए एक ऋतु फसल के लिए मूलधन या ब्याज की किस्त अतिदेय रहती है,
>
> vi. 01 फरवरी, 2006 की प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के संबंध में किए गए प्रतिभूतिकरण लेन–देन के संबंध में, 90 दिन से अधिक के लिए तरलता सुविधा की राशि बकाया बनी हुई है।
>
> vii. व्युत्पन्न लेन–देन के संबंध में, व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक मार्क–टू–मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्तियों, यदि ये भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए भुगतान नहीं की जाती है।

[21] **सकल एन पी एः सकल एन पी ए, कुल ऋण आस्तियों की कुल राशि है जो कि बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एन पी ए के रूप में वर्गीकृत हैं। यह बैंकों द्वारा किए गए ऋण की गुणवत्ता को दर्शाता है।**

[22] **निवल एन पी एः निवल एन पी ए सकल एन पी ए में से प्रावधान घटाकर है। यह प्रावधानों में कटौती के बाद बैंकों के वास्तविक बोझ को दर्शाता है।**

6.2 एन पी ए के प्रभाव

बैंकों में एन पी ए के उच्च स्तर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं क्योंकि, बैंक क्रेडिट आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक है। जब ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है, निधियां वित्तीय प्रणाली से बाहर हो जाती हैं एवं देनदारी–पुनर्भुगतान–लेनदारी का चक्र प्रभावित होता है। बैंकों पर अपने जमाकर्ताओं एवं बैंक के अन्य देनदारों को पुनर्भुगतान करने का दायित्व होता है। ऋण पुनर्भुगतान के अभाव में, बैंकों को जमाकर्ताओं और लेनदारों को चुकाने के लिए अतिरिक्त धनराशि उधार लेनी होती है। इससे ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ बैंक नई परियोजनाओं या चालू परियोजनाओं के लिए नए फंड देने के लिए अनिच्छुक होते हैं। एक बार जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्रेडिट धीमा हो जाता है, तो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एन पी ए, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन, बैंक के कामकाज के अन्य पहलुओं पर प्राथमिकता ले लेता है। एन पी ए के उच्च स्तर वाले बैंक को गैर–आय वाली आस्तियों के रखरखाव की लागतों को वहन करने के लिए बाध्य हो जाता है। अन्य परिणामों में ब्याज आय में कमी, प्रावधानीकरण के उच्च स्तर (उच्च एन पी ए वाले बैंकों को एन पी ए के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ती है, जो उनके निवल लाभ को कम करेगा), लाभप्रदता और पूँजी पर्याप्तता पर जोर, लागत में लगातार वृद्धि को पूरा करने की क्षमता में धीरे–धीरे गिरावट, निवल ब्याज मार्जिन (एन आई एम) पर दबाव बढ़ता है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। पूँजीगत संसाधनों के निरंतर क्षरण और पूँजीगत संसाधनों को बढ़ाने में कठिनाई बढ़ जाती है। सामान्य रूप से भारतीय बैंकों में और विशेष रूप से पी एस बी में एन पी ए बढ़ रहे थे एवं [मार्च 2017 (अनंतिम) तक पी एस बी का कुल एन पी ए] ₹ 6.83 लाख करोड़ हो गये थे, जिसने पी एस बी की लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता में योगदान किया।

6.3 पी एस बी में अर्नजक आस्तियाँ

6.3.1 एस सी बी के लिए, मार्च 2016 में अग्रिमों से सकल एन पी ए अनुपात 6.60 प्रतिशत पर था। पी एस बी का सकल एन पी ए ₹ 2.27 लाख करोड़ (31 मार्च 2014) से लगभग ₹ 5.40 लाख करोड़ (31 मार्च 2016) तक बढ़ गया, जो 138 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वे मार्च 2017 के अंत तक ₹ 6.83 लाख करोड़ तक (अनंतिम) बढ़े। अध्याय I का पैरा 1.5.3.3 दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में जी एन पी ए के सबसे बड़े हिस्सों के लिए पी एस बी जिम्मेदार थे। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में पी एस बी के सकल एन पी ए अनुपात में तेजी आई है, हालाँकि सामान्य तौर पर, सभी एस सी बी की तुलना में इनका अनुपात अधिक रहा है, जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है :

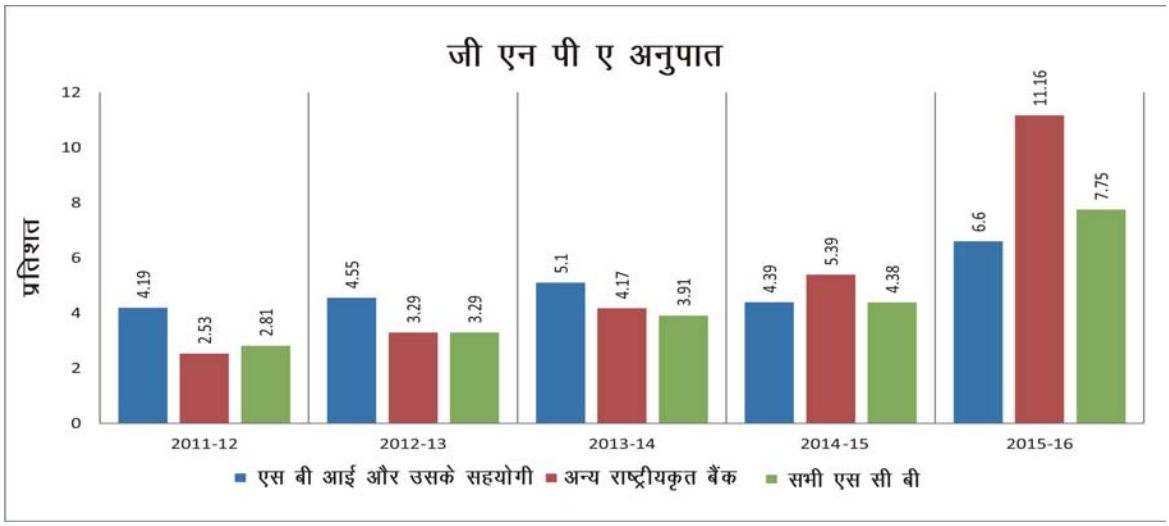

(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणी)

6.3.2 उपरोक्त चार्ट भारतीय रिजर्व बैंक के डेटाबेस से तैयार किया गया है। एन पी ए जब चिन्हित हों तो उनके लिए आर बी आई मानकों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे उदाहरण देखे गए है जहाँ बैंकों और आर बी आई द्वारा चिन्हित एन पी ए एवं उनके सापेक्ष हुए प्रावधानों में महत्वपूर्ण अंतर थे। अप्रैल 2017 में, आर बी आई ने निर्देश[23] दिया कि बैंक उपयुक्त प्रकटीकरण करे जहाँ–जहाँ भी हों। (ए) आर बी आई द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताएँ संदर्भ अवधि के कर लगाने के पश्चात् प्रकाशित शुद्ध लाभों के 15 प्रतिशत से अधिक हों या (बी) आर बी आई द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एन पी ए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एन पी ए के 15 प्रतिशत से अधिक होते हैं या दोनों।

लेखा परीक्षा ने वर्ष 2016–17 के लिए पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा की और पाया कि कुछ पी एस बी[24] में निचले क्वांटम पर एन पी ए को मान्यता दी गई है। इसके साथ ही इन बैंकों द्वारा प्रावधान में कमी और तदुपरान्त निवल लाभ का अधिक आकलन हुआ जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्टों में दर्शाया गया है:

[23] आर बी आई निर्देश सं. आर बी आई/2016–17/283 डी बी आर बी पी बी सी सं. 63–21.04.018/2016–17 दिनांक 18 अपैल 2017

[24] पांच पी एस बी के मामले में, आस्तियों के लिए वर्गीकरण एवं प्रावधान में भिन्नता थी जैसा कि पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है। यद्यपि भिन्नता आर बी आई द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती, यह इन पी एस बी द्वारा नहीं दिखाया गया।

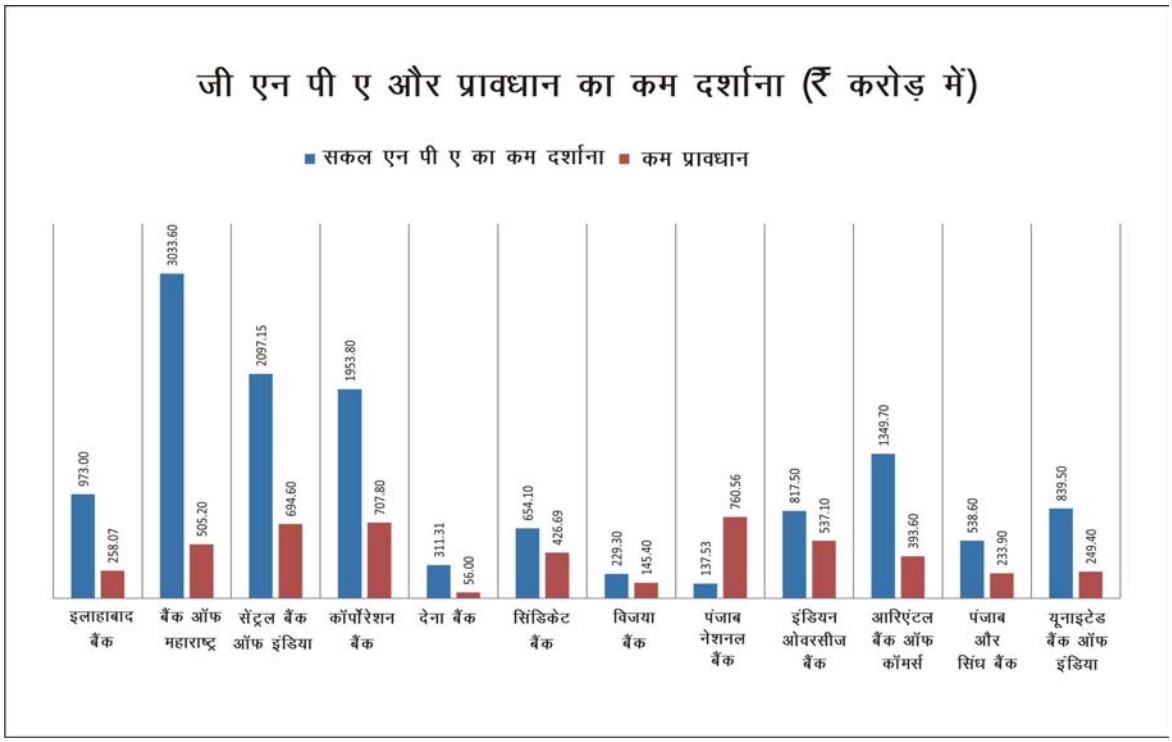

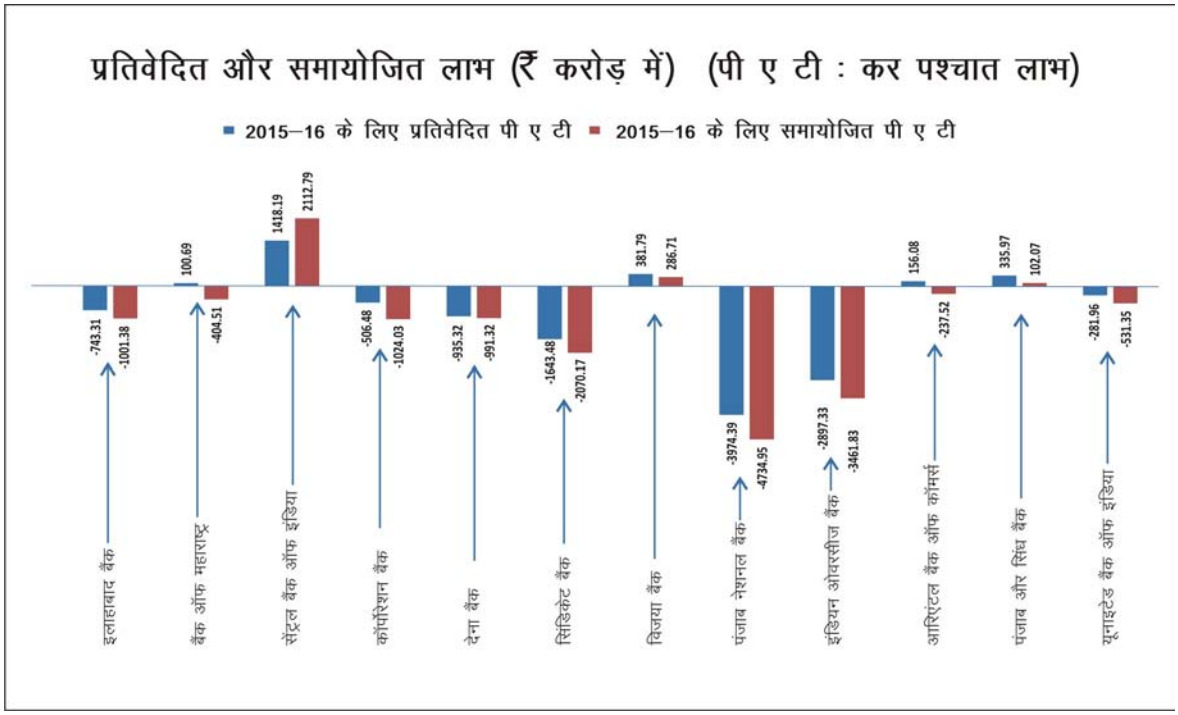

(स्रोतः 2016–17 के लिए पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट)

6.4 एन पी ए के लिए प्रावधान

6.4.1 ऋण आस्ति, निवेश या अन्य आस्तियों के मूल्य में किसी भी कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन और वैधानिक लेखापरीक्षकों की है। आर बी आई के निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन को, बैंक प्रबंधन और विवेकपूर्ण मानदंडों के

संदर्भ में पर्याप्त और आवश्यक प्रावधान करने के संबंध में निर्णय लेने में बैंक प्रबंधन और वैधानिक लेखा परीक्षकों की सहायता के लिए बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, निर्धारित श्रेणियों में आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान किए जाने चाहिए।

6.4.2 प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर) मूलतः सकल अनर्जक आस्तियों से प्रावधानों का अनुपात है और एन पी ए पर होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए बैंक द्वारा अलग रखी गई निधि की मात्रा की ओर इंगित करता है। एन पी ए के लिए प्रावधानों की सीमा आर बी आई द्वारा निर्धारित की जाती है। बैंक की पी सी आर को, बैलेंस शीट के लेखों के नोट्स में प्रकट किया जाना चाहिए।

(स्रोतः 2011–12 से 2016–17 तक पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट)

उपरोक्त चार्ट इंगित करता है कि 2014–15 एवं 2016–17 के अपवाद के साथ 2011–12 से 2016–17 के दौरान पी एस बी का औसत पी सी आर क्रमशः कम होता जा रहा है। 31 मार्च 2017 को पी एस बी के लिए पी सी आर अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

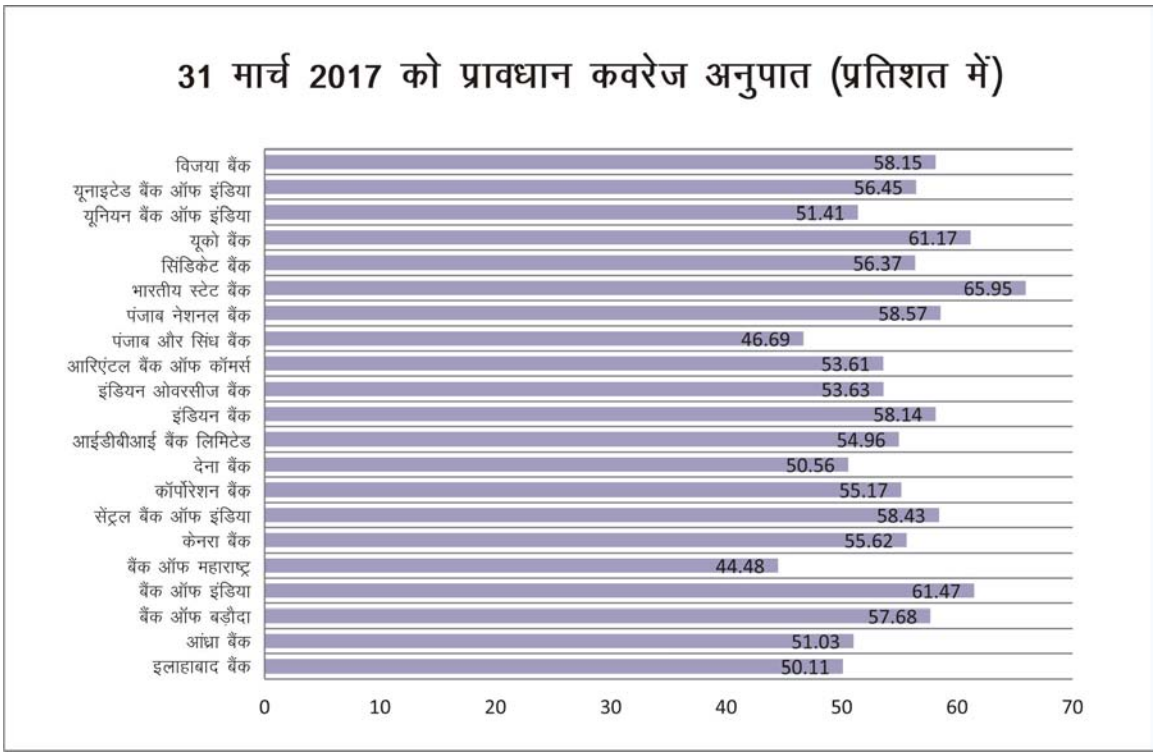

(स्रोतः 2016–17 के लिए पी एस बी की वार्षिक रिपोर्ट)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उच्चतम पी सी आर 65.95 प्रतिशत था, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र 44. 48 प्रतिशत पर न्यूनतम था।

6.5 2008–16 के बीच पी एस बी में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट

6.5.1 सामान्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों की और विशेष रूप से पी एस बी की आस्ति गुणवत्ता 2012–13 के बाद से काफी खराब हो रही है। पी एस बी में जी एन पी ए अनुपात, 1.99 प्रतिशत (2008–09) से बढ़कर 9.91 प्रतिशत (2015–16) हो गया। यह देखा गया कि पी एस बी का जी एन पी ए अनुपात सभी एस सी बी के मुकाबले कम रहा, जो 2011–12 तक पी एस बी द्वारा बेहतर प्रदर्शन का संकेत देता है, जबकि जी एन पी ए का अनुपात पी एस बी के लिए अधिक रहा और अभी भी ऐसा बना है। पी एस बी के लिए ताजा गिरावट अनुपात[25] की प्रवृत्ति से ताजा गिरावट में वृद्धि का संकेत मिलता है (वर्ष 2008–09 में 1.39 प्रतिशत से 2015–16 में 6.90 प्रतिशत) और पी एस बी में एन पी ए की बढ़ोतरी हुई है। जैसा अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

[25] **ताजा गिरावट अनुपातः एक वित्तीय वर्ष में सकल एन पी ए में बढ़ोतरी और उस वर्ष के अग्रिमों का अनुपात जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।**

चार्टः एस सी बी एवं पी एस बी की आस्ति गुणवत्ता स्थिति

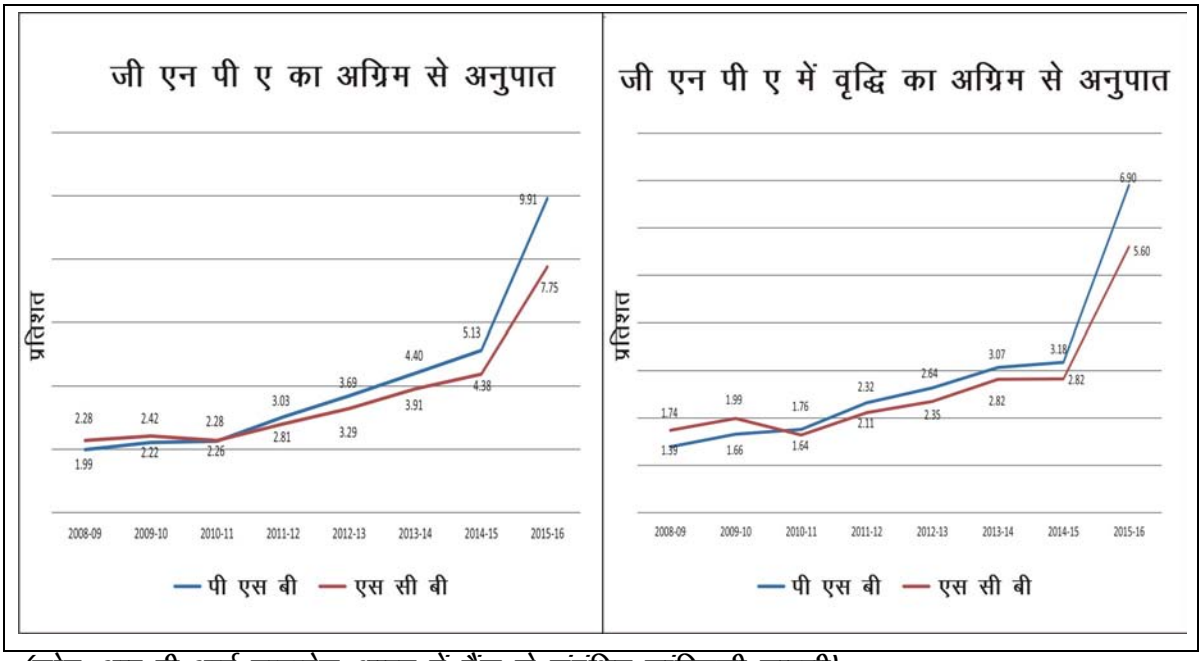

(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः भारत में बैंक से संबंधित सांख्यिकी सारणी)

पी एस बी द्वारा एन पी ए को पुनर्प्राप्त करने के प्रयासों को समझने के लिए, लेखा परीक्षा ने 2010–11 से 2014–15 तक सकल एन पी ए की वसूली दर[26] और पी एस बी अपलेखन की दरों[27] की समीक्षा की, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में देखा जा सकता है।:

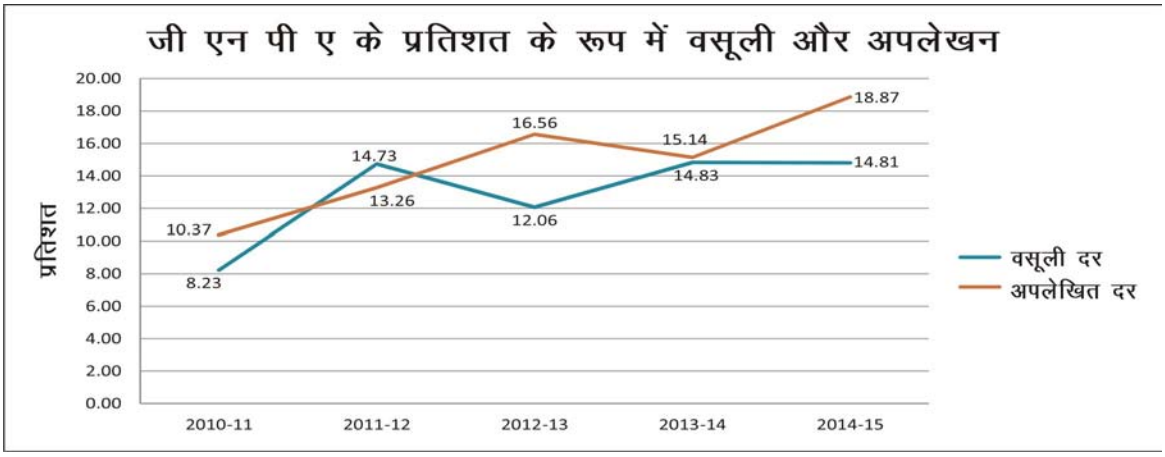

(स्रोतः आर बी आई डाटाबेसः बैंकों से संबंधित सांख्यिकी सारणी और लोकसभा सचिवालय को डी एफ एस का का. ज्ञा. दिनांक 21 अप्रैल 2016)

जैसा कि ऊपर दिये गए चार्ट से देखा जा सकता है, जी एन पी ए की वसूली दर सामान्य रूप से, अपलेखन की तुलना में कम है, (2011–12 के अतिरिक्त) जिसका अर्थ है कि सकल एन पी ए का एक बड़ा घटक, नगद वसूली के मुकाबले अपलेखित किया गया।

[26] वसूली दर = वसूली हुई/सकल एन पी ए

[27] अपलेखन दर = अपलेखित किये गये/सकल एन पी ए

6.6 दबावग्रस्त क्षेत्रों में आस्तियों की गुणवत्ता

6.6.1 भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (दिसंबर 2016), बड़े ऋण लेने वाले खातों में जी एन पी ए के उच्च संकेन्द्रण को इंगित करती है। रिपोर्ट दर्शाती है कि एस सी बी के करीब 88. 4 प्रतिशत जी एन पी ए बड़े कर्जदारों से संबंधित है। 30 जून 2016 तक, कार्पोरेट क्षेत्र में जी एन पी ए अनुपात (जी एन पी ए को संकल अग्रिमों द्वारा विभाजित किया गया प्रतिशत) 8.78 प्रतिशत था, जबकि यह आधारभूत ढांचा क्षेत्र में[28] 7.70 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र में 7.03 प्रतिशत था।

डी एफ एस (मई 2017) सहमत हुआ कि कार्पोरेट ऋण का जी एन पी ए में अधिकतम योगदान रहा।

6.6.2 पी एस बी के लिए, जी एन पी ए का एक महत्वपूर्ण घटक आधारभूत ढांचा, लोहा इस्पात एवं कपड़ा क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है :

तालिका 6.1: दबाव के तहत क्षेत्र

उद्योग		31 मार्च 2016	31 मार्च 2017
खनन एवं उत्खनन	सकल अग्रिमों में शेयर	0.59	0.54
	दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात	16.52	23.45
कोयला	सकल अग्रिमों में शेयर	0.08	0.06
	दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात	40.13	43.14
मूल धातु और धातु उत्पादनों –लोहा एवं इस्पात	सकल अग्रिमों में शेयर	5.12	5.42
	दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात	53.19	60.03
कपड़ा	सकल अग्रिमों में शेयर	2.92	3.18
	दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात	25.39	33.16
आधारभूत ढांचा	सकल अग्रिमों में शेयर	15.5	14.61
	दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात	18.91	21.17
ऊर्जा	सकल अग्रिमों में शेयर	9.06	8.98
	दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात	17.21	18.21
विमानन	सकल अगिमों में शेयर	0.33	0.48
	दबावग्रस्त अग्रिम अनुपात	16.86	5.59

(स्रोतः आर बी आई से आंकड़े) 2016–17 के आंकड़े अनंतिम है

डी एफ एस ने अपने जवाब (मई 2017) में स्वीकार किया कि लोहा एवं इस्पात, बिजली और कपड़ा सबसे अधिक दबावग्रस्त क्षेत्रों में थे।

[28] **आधारभूत ढांचा क्षेत्र में शिक्षा संस्थान, बिजली, सड़कें, अचल संपत्ति, बंदरगाह, नौवाहन आदि शामिल है।**

6.7 उद्योगवार प्रणालीगत बड़े पी एस बी में आस्ति की गुणवत्ता

31 दिसम्बर 2016 को भारत में प्रणालीगत बड़े पी एस बी की उद्योग–आधारित आस्ति गुणवत्ता और क्रेडिट विकास की स्थिति 18 विशिष्ट उद्योगों के प्रदर्शन पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उद्योग पोर्टफोलियो जोखिम संबंधी जानकारी प्रणालीगत बड़ी पी एस बी (एस बी आई, बी ओ बी, बी ओ आई, केनरा बैंक, पी एन बी और यूनियन बैंक आफ इंडिया) के आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है और इसे नीचे दी गई तालिका में रखा गया है।

तालिका 6.2: प्रणालीगत बड़ी पी एस बी की आस्ति गुणवता और क्रेडिट वृद्धि की स्थिति

उद्योग के नाम	कुल क्रेडिट (₹ करोड़ मे)	उद्योग क्रेडिट वृद्धि प्रतिशत में[29]	एक्सपोजर शेयर[30]	अन्तिम जी एन पी ए (₹ करोड़ में)	जी एन पी ए अनुपात (प्रतिशत)
खनन एवं उत्खनन	18677.10	4.42	1.23	1699.11	9.10
खाद्य प्रसंस्करण	69731.79	-21.67	4.60	10218.92	14.65
पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) एवं तंबाकू	8135.84	14.65	0.54	1260.38	15.49
कपड़ा	113066.14	-6.03	7.46	19709.08	17.43
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	5798.96	-3.75	0.38	232.58	4.01
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	4348.33	-1.26	0.29	663.85	15.27
पेपर एवं पेपर उत्पाद	14729.48	-63.77	0.97	2690.38	18.27
पेट्रोलियम, कोयला (गैर–खनन) एवं परमाणु ईंधन	40949.46	-10.36	2.70	3769.15	9.20
रसायन और रसायनिक उत्पाद	82514.23	-17.35	5.45	8480.29	10.28
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	46229.19	95.90	3.05	1700.31	3.68
ग्लास एवं ग्लासवेयर	4927.63	-13.75	0.33	1446.25	29.35
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	17134.32	8.79	1.13	3363.46	19.63
मूल धातु और धातु उत्पाद	249371.31	1.17	16.46	81417.81	32.65
सभी अभियांत्रिकी	94615.70	-5.05	6.25	7967.69	8.42
वाहन, वाहन पार्टस और परिवहन उपकरण	27027.72	2.52	1.78	4850.93	17.95

[29] अप्रैल से दिसंबर 2016 तक 9 महीनों के लिए उद्योग ऋण वृद्धि

[30] एक्सपोजर शेयर, एक उद्योग विशेष में सिस्टमेटिकली लार्ज पी एस बी के एक्सपोजर का अनुपात इन पी एस बी के संदर्भ में कुल उद्योग क्रेडिट से दर्शाता है।

रत्न और आभूषण	42436.02	-33.63	2.80	5089.25	11.99
निर्माण	51511.65	2.04	3.40	6183.08	12.00
आधारभूत ढांचा	494492.10	6.09	32.64	31097.53	6.29
अन्य उद्योग	129230.16	-12.42	8.53	20474.17	15.84
कुल	**1514927.1**		**100.00**	**212314.22**	**14.01**

(स्रोत : आर बी आई डाटा : घरेलू संचालन)

6.8 वसूली एवं अपलेखन

6.8.1 एन पी ए के प्रबंधन में इसकी नगद वसूली एवं अपलेखन शामिल है। जब उधारकर्त्ता द्वारा ब्याज एवं मूल का भुगतान किया जाता है तो एन पी ए के रूप में वर्गीकृत खातों में भी श्रेणी उन्नयन किया जा सकता है। आगे चार्ट में जी एन पी ए कटौती का वितरण तीन श्रेणियों में दिखाया गया है। (i) श्रेणी उन्नयन (ii) वास्तविक वसूली और (iii) 2010–15 के दौरान (समझौता खातों में अपलेखन सहित) अपलेखन

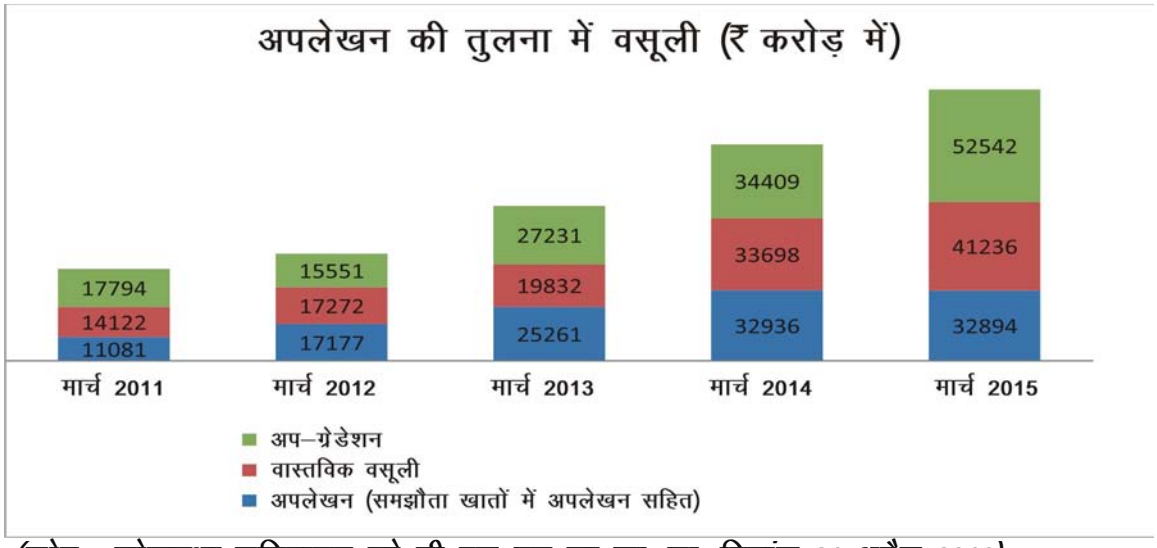

(स्रोत : लोकसभा सचिवालय को डी एफ एस का का. ज्ञा. दिनांक 21 अप्रैल 2016)

यह देखा गया है कि वास्तविक वसूली 2011–12 को छोड़कर सभी वर्षों में अपलेखन से कम थी। 2014–15 में अपलेखन की मात्रा वास्तव में ₹ 52,542 करोड़ थी जो ₹ 41,236 करोड़ की वसूली से काफी अधिक है जो डी एफ एस सिद्धांत के खिलाफ है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वसूली की मात्रा अपलेखन के बराबर हो।

डी एफ एस ने बताया (मई 2017) कि वे इस सिद्धांत से सहमत थे कि अपलेखन राशि को वसूली के खातों की राशि से मिलना चाहिए, लेकिन विशेष उपाय किए जाने के बावजूद, पिछले कुछ सालों में पी एस बी की दबावग्रस्त आस्तियों की स्थिति गंभीर हो गई थी, इसलिये आस्तियों की गुणवत्ता के मामलों में सामान्य स्थिति बहाल होने में कुछ समय लग सकता है।

6.9 एन पी ए की स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार एवं आर बी आई द्वारा उठाये गए कदम

भारत सरकार एवं आर बी आई ने बढ़ती हुई एन पी ए की समस्या को दूर करने के लिए कई पहल की जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे संक्षेप में दिए गए हैं।

6.9.1 ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी आर टी)

बैंकों की एन पी ए को वसूल करने के लिए संसद के अधिनियम (1993) के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी आर टी) का गठन किया गया था। वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में 39 डी आर टी और 5 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डी आर ए टी) काम कर रहे हैं। डी आर टी (समझौता सहित) के माध्यम से वसूल की गई राशि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः ₹ 3,484 करोड़[31] और ₹ 5,590 करोड़ थी।

6.9.2 लोक अदालत

आर बी आई ने लोक अदालतों के मंच के उपयोग बढ़ाने एवं छोटे बैंकिंग विवादों का निपटान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये (मई 2001)। लोक अदालतों के माध्यम से वसूली राशि 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः ₹ 931 करोड़ एवं ₹ 3,134 करोड़ थी।

6.9.3 सरफेसी अधिनियम, 2002

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूति एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज (सरफैसी) अधिनियम 2002 ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना अपनी एन पी ए पुनः प्राप्त करने का अधिकार देता है। अधिनियम, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना अनर्जक आस्तियों की वसूलीं के लिए तीन वैकल्पिक विधियों को बताया है जो प्रतिभूतिकरण, संपत्ति पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा का प्रवर्तन है। सरफेसी अधिनियम के कार्यान्वयन के माध्यम से वसूल की गई राशि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमश : ₹ 23,434 करोड़ और ₹ 11,033 करोड़ थी।

6.9.4 पुनर्गठन के लिए योजनाऐं

कारपोरेट ऋण पुनर्गठन (सी डी आर) तंत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2001 में पेश किया गया था जो देनदार – ऋणदाताओं के समझौते (डी सी ए) एवं अंतर–ऋण संधि पर आधारित है जिसमें 75 प्रतिशत के अति–बहुमत वाले लेनदारों द्वारा अनुमोदन के सिद्धांत (मूल्य के अनुसार) पर आधारित है और शेष 25 प्रतिशत पर बाध्यकारी है जो बहुमत के फैसले के अनुरूप है। यह एक स्वैच्छिक गैर–सांविधिक व्यवस्था है।

5/25 योजना की शुरूआत (जुलाई 2014) के लिए बुनियादी ढांचा और मुख्य उद्योगों में परियोजनाओं के दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए, इन क्षेत्रों में ऋण के लिए अधिक परिशोधन अवधि 25 वर्षों तक दी गई (उपयोगिता काल या रियायती अवधि के आधार पर

---

[31] **भारत में बैंकिंग की प्रवृति और प्रगति पर आर बी आई प्रतिवेदन 2015–16 से डी आर टी, लोक अदालतों और सरफेसी द्वारा वसूली के आँकड़े लिए गये हैं।**

परियोजना) जिसमें दीर्घकालिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्षों में आवधिक पुनर्वित्तीयकरण किया जाता है। पुनर्जीवित दबावग्रस्त खातों में प्रवर्तकों की अधिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए **रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एस डी आर)** (जून 2015) को शुरू किया गया था जो उन खातों के स्वामित्व में परिवर्तन शुरू करने के लिए बैंकों की क्षमताओं को बढ़ावा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित व्यावहारिक लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहे, जबकि आर बी आई निर्देशित (जून 2015), बैंक अपने विवेक से ऋण देय राशि को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करके एक सामरिक ऋण पुनर्गठन (एस डी आर) कर सकते हैं। बड़े दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए एक वैकल्पिक ढांचा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों की टिकाऊ संरचना के लिए योजना एस 4 ए तैयार (जून 2016) की गई थी। एस 4 ए में एक दबावग्रस्त उधारकर्त्ता के लिए टिकाऊ ऋण स्तर का निर्धारण, और बकाया ऋण का टिकाऊ कर्ज और इक्विटी/अर्ध–इक्विटी उपकरणों में बँटवारा, जो उधारकर्ताओं के अच्छी स्थिति में होने पर देनदार की अच्छी स्थिति होने पर आधारित है।

6.9.5 त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 अप्रैल, 2017 को बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्य (पी सी ए) रूपरेखा के रूप में एक नीतिगत कार्यवाही दिशा निर्देश जारी किया। संशोधित रूपरेखा में बैंकों की निगरानी के लिए पूँजी, संम्पत्ति की गुणवत्ता एवं लाभ प्रदता प्रमुख क्षेत्र हैं। आर बी आई, सी आर ए आर या सी ई टी 1 अनुपात, नेट एन पी ए अनुपात एवं आस्ति पर आय को ट्रैक करेगा। पी सी ए के हिस्से के रूप में लीवेरेज की अतिरिक्त निगरानी भी की जाएगी। किसी भी निर्धारित जोखिम दहलीज के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कुछ अंक निर्दिष्ट किए गए है जो पी सी ए के आवाहक होगें। यह 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चार पी एस बी पर जो कि आई डी बी आई बैंक लिमिटेड, यूको बैंक, देना बैंक एवं सेंट्रल बैक ऑफ इंडिया हैं, उनके उच्च शुद्ध एन पी ए और नकारात्मक आर ओ ए को देखते हुए पी सी ए (मई 2017 और जून 2017) प्रारम्भ की है।

6.9.6 अध्यादेश

बैंकिग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 बैंकिग विनियमन 1949 की धारा 35 ए के बाद दो नई धारा (अर्थात 35 ए ए और 35 ए बी) को शामिल (मई 2017) कर दिया गया है, जिससे कि केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग कम्पनियों को विशिष्ट दबावग्रस्त आस्तियों को हल करने के लिए दिवालिया संकल्प प्रक्रिया शुरू करने का जहाँ आवश्यक हो, निर्देश कर सके। आर बी आई को दबावग्रस्त आस्तियों में सुधार के लिए अन्य निर्देश जारी करने और नियुक्त प्राधिकारियों या बैंकिंग कम्पनियों की समितियों के लिए नियुक्त या अनुमोदन का अधिकार दिया गया है।

6.9.7 अन्य उपाय

एन पी ए विशिष्ट क्षेत्रों, मुख्यतः आधारभूत ढांचा (पावर, सड़कों आदि), स्टील और कपडा उद्योग में विशेष उपाय किए गए है। इस्पात क्षेत्र में, दिसंबर 2016 में विशिस्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (एम आई पी) शुरू किया गया है जबकि कोयला खानों को इस क्षेत्र में निर्माताओ के लिए नीलामी की गई है जिससे घरेलू उत्पादन को बढावा मिलेगा और उस क्षेत्र में

बढते एन पी ए से निपटने में मदद मिल सकती है। ऊर्जा के क्षेत्र में, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की गई है (सितंबर 2015) जिसके तहत राज्य सरकार 2015–17 से डिस्कॉम् कर्ज का 75 प्रतिशत हिस्सा लेंगे जो कि पी एस बी की पूँजी को अनलॉक करके एन पी ए में सुधार करेगी। मार्च 2015 तक डिस्कॉम्ों का कुल घाटा लगभग ₹ 3.8 लाख करोड़ और कुल बकाया ऋण लगभग ₹ 4.3 लाख करोड़ था।